संख्या–1200बी/क0नि–6–2017–1(बी)/2017

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

लखनऊः दिनॉक:04 सितम्बर, 2017

विषय : फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में।

महोदय,

फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत कृषकों के स्वामित्व की भूमि के सत्यापन हेतु पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा विस्तृत रूप से निर्देश निर्गत किये गये है। जनपदों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि कतिपय प्रकरण ऐसे हैं जिनमें कृषकों द्वारा जिन जनपदों की बैंक शाखा से ऋण लिया गया है, उपरोक्त ऋण लिये जाने हेतु अपने स्वामित्व की जो भूमि बैंक के अभिलेखों में दी गयी है वह उक्त जनपद में अवस्थित न होकर अन्य जनपद में है और ऐसे प्रकरणों को सत्यापित कराये जाने में कठिनाई हो रही है। उक्त प्रकार के प्रकरणो में ऋण सत्यापन के विषय में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाय–

1. **कृषक द्वारा जिस जनपद में ऋण लिया गया है वहीं का वह आवासीय है परन्तु भूमि पृथक जनपद में है –**

ऐसे प्रकरण में संबंधित जनपद जहॉ से ऋण लिया गया है और कृषक वहॉ आवासीय है तो राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रारूप पर भूमि के विषय में कृषक से स्वप्रमाणपत्र प्राप्त कर भूमि के सत्यापन हेतु उपरोक्त स्वप्रमाणपत्र का विस्तृत विवरण अंकित करते हुये उस जनपद को प्रेषित किया जाय जहॉ पर कृषक द्वारा भूमि होने का विवरण दिया गया है।

2. **कृषक द्वारा जिस जनपद में ऋण लिया गया है वह न तो वहॉ का आवासीय है और न ही उसकी भूमि उस जनपद में है –**

ऐसे प्रकरणों में वह जनपद जहाँ कृषक द्वारा ऋण लिया गया है, उस जनपद द्वारा बैंक से प्राप्त कृषक की भूमि संबंधी विवरण के साथ नाम/पता अंकित करते हुये सत्यापन हेतु उस जनपद को तत्काल प्रकरण संदर्भित कर दिया जाये जहाँ पर कृषक की भूमि है।

3. समस्त जिलाधिकारी ऐसे प्रकरणों को जिनमें अन्यत्र जनपद से सत्यापन प्राप्त करना है उनकी सूची जनपदवार तैयार कर दो दिवसों में अनिवार्यता संबंधित जनपदों को प्रेषित कर देंगे एवं प्रत्येक जिलाधिकारी इस विषय में प्राप्त सूची का सत्यापन अधिकतम 03 दिवस में करते हुये अपनी आख्या प्रकरण को संदर्भित करने वाले जनपद को उपलब्ध करा देंगे।

4. यह उल्लेखनीय है कि इस विषय में यह अनुभव किया गया है कि उपरिवर्णित अधिकांश प्रकरण उन जनपदों से संबंधित है जहॉ पर पूर्व में बड़ा जनपद था जो कि प्रकान्तर में नये जनपदों में सृजन होने के कारण बैंकों की भोगोलिक सीमावर्ती/निकटवर्ती होने के कारण इस प्रकार के ऋण का वितरण हुआ है। अतः इस बात की संभावना है कि उपरोक्त प्रकरणों में अधिकांश प्रकरण एक ही मण्डल के संबंधित जनपदों से आच्छादित होंगे। अतएव समस्त मण्डलायुक्त इस विषय में अपने स्तर से ऐसे प्रकरण का अनुश्रवण सतत् रूप से सुनिश्चित करते हुए इस विषय पर सत्यापन की कार्यवाही अपने दिशा–निर्देश से पूर्ण करायेंगे।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
सचिव।

प0पृ0सं0–1200(1) बी/क0नि0–6–2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
3. विशेष सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशाालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ ।
6. निदेशक, कृषि निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त जिला कृषि अधिकारी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह नौर्या)
उप सचिव।